राजस्थान सरकार
चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/2/2021 जयपुर, दिनांकः 05.05.2021

जिला कलक्टर,
समस्त राजस्थान।

विषयः एयरपोर्ट से टैंकर लिफ्ट करवाने के संबंध में पालन की जाने वाली सामान्य प्रक्रिया।

उपरोक्त विषयक क्रम में लेख है कि ऑक्सीजन के खाली टैंकर को फिलिंग प्लांट जामनगर (गुजरात), बर्नपुर (पश्चिम बंगाल) एवं कलिंगपुर (उडीसा) से करवाने के लिये टैंकरों एवं उनके चालकों तथा सुरक्षा कार्मिक के संबंध में निम्न औपचारिकताएं पूर्ण किया जाना आवश्यक हैः–

[अ] प्रक्रियात्मक औपचारिकताएंः–

(i) जिस एयरपोर्ट से वाहन एयरलिफ्ट किया जायेगा, वहां पर वाहन सहित कम से कम एक घण्टा पूर्व उपस्थिति दी जाये। इस संबंध में स्थानीय एयरपोर्ट अधिकारी से कार्मिकों के परिसर में प्रवेश से संबंधित औपचारिकताएं पूर्ण करवाई जाये। इसमें कार्मिकों की आर.टी.पी.सी.आर रिपोर्ट का होना आवश्यक है।

(ii) वाहन जिस ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन प्राप्त करेगा, उनके अधिकारियों एवं वहां पर नियुक्त किये गये राजस्थान के अधिकारियों के संपर्क में रहकर उनके द्वारा चाही गई औपचारिकताएं पहले संबंधित जिला कलक्टर से करवाकर उन्हें ई–मेल करवाना। यह ध्यान रखा जाये कि संपूर्ण व्यवस्थाओं के लिये नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाये, ताकि एयरलिफ्टिंग में किसी प्रकार की औपचारिकता शेष नहीं रहे।

[ब] कार्मिकों के संबंध में पूर्ण की जाने वाली औपचारिकताएंः–

(i) ऑक्सीजन टैंकर्स की 10 एम.टी से 20 एम.टी. तक ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता होती है। अतः इन टैंकर्स के संचालन के लिए टैंकर चलाने वाले चालकों की आवश्यकता रहेगी। अतः ऐसे चालकों की पहचान कर सूची तैयार कर ली जाये एवं सभी का आर.टी.पी.सी.आर टेस्ट करवा लिया जाये तथा इन्हें कोरोना अनुकूल व्यवहार के लिये पाबंद किया जाये। ऐसा किया जाना इसलिए आवश्यक है कि एयरफोर्स के विमान में एयरलिफ्ट करते समय आरटीपीसीआर रिपोर्ट चाही जाती है एंव उक्त रिपोर्ट Nagative होने पर ही उन्हें वाहन के साथ उड़ान भरने की अनुमति दी जाती हैं।

(ii) एयरक्राफ्ट में प्रत्येक टैंकर के साथ–साथ एक–एक पुलिस का जवान भी जाता है। टैंकरों के साथ जाने हेतु पुलिस कांस्टेबल की सूची तैयार की जाये एवं उनकी

आर.टी.पी.सी.आर टेस्ट करवाकर इन्हें भी कोरोना अनुकूल व्यवहार हेतु पाबंद किया जाये।

(iii) प्रत्येक सप्ताह जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर से टैंकर एयरलिफ्ट होंगे। अतः प्रत्येक जिला कलक्टर ऑक्सीजन टैंकर/या समरूप प्रकृति के टैंकर चलाने हेतु अतिरिक्त वाहन चालकों की सूची मय आर.टी.पी.सी.आर टेस्ट तैयार रखें, ताकि आवश्यकता होने पर उनको तत्काल टैंकर के साथ भेजा जा सके।

(iv) जिला कलक्टर, अलवर यह सुनिश्चित करे कि में जो भी टैंकर चालक एवं कर्मचारी टैंकर के साथ भिवाड़ी आते है, उनके आर.टी.पी.सी.आर टेस्ट हेतु आवश्यक व्यवस्था की जाये एवं जांच उपरांत यदि कोई कार्मिक पॉजिटिव पाया जाये, तो उसे अन्य कार्मिकों से पृथक रखा जाये तथा उसकी चिकित्सा आदि की समुचित व्यवस्था की जाये तथा शेष चालक, कर्मचारी, जो इस व्यवस्था में संलग्न है, उनको फ्रंटलाईन वर्कर मानते हुए प्राथमिकता से कोरोना के टीके लगाया जाये।

(v) ऐसे समस्त कार्मिक/ड्राईवर हमारी ऑक्सीजन परिवहन व्यवस्था की महत्वपूर्ण धुरी है, अतः इन्हे लगातार प्रशिक्षित किया जाये कि कोरोना से बचने के लिये इनके द्वारा कोरोना अनुकूल व्यवहार का पालन किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में यह भी अपेक्षित है कि ड्राईवर्स को इस बाबत आवश्यक जानकारी दी जाये एवं प्रत्येक ड्राईवर के वाहन में कोरोना मेडिकल किट रखी जाये, ताकि प्रारंभिक लक्षण प्रतीत होने पर उनका उपयोग किया जा सके।

सिद्धार्थ

(सिद्धार्थ महाजन)
शासन सचिव